cause inquiries to be conducted into offences alleged to have been committed under the Prevention of Corruption Act, 1988 by certain categories of public servants of the Central Government, Corporations established by or under any Central Act, Government companies, societies and local authorities owned or controlled by the Central Government and for matters connected therewith or incidental thereto, in the vacancies caused by retirement of two Members namely Shri Hansraj Bhardwaj and Shri Sanjay Nirupam from Rajya Sabha on the 2nd April, 2000 and resolves that Shri Hansraj Bhardwaj and Shri Sanjay Nirupam elected to the Rajya Sabha on the 2nd April, 2000 be appointed to the said Joint Committee to fill the vacancies."

The question was put and the motion was adopted.

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

Internal Security Problem with Reference to Jammu and Kashmir

SHRI GHULAM NABI AZAD (Jammu and Kashmir): Sir, I call the attention of the Minister of Home Affairs to the internal security problem, with reference to the State of Jammu and Kashmir.

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI L.K. ADVANI): As part of its resolve to bring back normalcy in the State of Jammu and Kashmir, Government has embarked upon a three pronged strategy, which comprises: - proactively tackling with the help of security forces, the cross border terrorism, that has been unleashed by Pakistan sponsored terrorist outfits; accelerating economic development as also redressing the genuine grievances of the people; and initiating a dialogue, within the constitutional frame work, with alienated sections of the society, specially misguided youths.

With a proactive approach, adopted by our security forces against terrorists, between 1998 and April, 2000 near normalcy has returned to the State. As the hon. Members are aware, due to the Kargil incursions, Pak supported terrorist outfits were able to take advantage of the depleted

security grid, to push in armed foreign infiltrators in considerable number. This phase also saw the introduction of suicide squads, intensification of attacks on security forces, upgradation of weaponry/hardware of the terrorists, efforts to garner local support as also to provide a *Jehadi* flavour to the ongoing terrorism in the State. The terrorists were keen on causing incidents that would attract instant media attention, their aim being on focus world attention on Kashmir.

Government took a number of steps in the post Kargil phase which included, *inter alia*, strengthening of the counter terrorist grid, strengthening and modernisation of J&K Police, strengthening and expansion of village Defence Committees, launching of pinpointed counter terrorist operations based upon actionable intelligence, strengthening of security cover for areas inhabited by minorities including Sikhs, dividing the counter terrorist grid into integrated sectors for synergised operations and checking infiltration through improved border management. The aforementioned steps resulted in the killing of approximately 950 terrorists from August, 1999 to April, 2000. To further sharpen the anti-terrorist posture in the State of J&K, an inter ministerial group has been set up to review, revise and supplement the 1998 Action Plan in operation to tackle militancy in J and K.

As part of its efforts to redress the grievance of the people as also to accelerate the economic development, Government of India has been providing special financial support over and above the normal Central Plan assistance to the State of J&K. Not only has the Plan size been enlarged but it has also been largely funded by the Government of India, in order to cover the resource gap. To ensure speedy implementation of projects, for which the Government of India has been releasing funds through various Union Ministries, a Standing Committee under the chairmanship of the Cabinet Secretary, has been set up. To further ameliorate the sufferings of those affected by terrorism, Government of India continues to reimburse expenditure incurred by the State Government in making *ex-gratia* payments to the next of kin of those killed in terrorist violence as also compensation for immovable properties destroyed in terrorist incidents. Reimbursement is also being made to the State Government for relief provided to the Kashmiri migrants as well as to persons displaced by cross border firing/shelling. Government of India has contributed to the corpus of the Rehabilitation Council, set up by the State Government, for widows and

orphans. Special funds have also been allocated by the Planning Commission to the State Government for the reconstruction of roads, bridges, school buildings, etc. damaged in the decade old terrorism. Funds have also been made available for providing relief to those who have taken loans up to Rs. 50,000/- from a public sector bank in trade, tourism and small scale sectors. In consultation with the State Government, a policy for rehabilitation of surrendered militants is already under implementation.

Government remains committed to initiating a dialogue with the alienated sections of the society, specially misguided youths, within the constitutional framework.

श्री गुलाम नबी आज़ाद : माननीय चेयरमैन सर, होम मिनिस्टर साहब ने अपना वक्तव्य दिया। मैं जानता हूं कि कश्मीर का मसला और कश्मीर में मिलिटेंसी खत्म करना इतना आसान काम नहीं है जितना कि हम सब समझते हैं। माननीय गृह मंत्री जी के वक्तव्य में बहुत सारी चीज़ें आई हैं लेकिन मुझे अफसोस है कि उससे ग्राउंड सिचुएशन में कोई भी परिवर्तन नहीं आया है बल्कि ग्राउंड सिचुएशन जो आज से छः महीने पहले थी, एक साल पहले थी, दो साल पहले थी, उससे कई गुना ज्यादा वह खराब हुई है। सरकार के ये फैसले, सरकार की ये कमेटियां शायद सरकारी फाइलों में हों लेकिन इनका असर जम्मू-कश्मीर में कुछ नहीं हुआ और जितनी मिलिटेंसी आज जम्मू-कश्मीर में दिखाई दे रही है, इतनी पिछले दस सालों में हमने कभी नहीं देखी। 1999 से ये हालात पैदा हुए। मैं इसे कोई झगड़े का विषय नहीं बनाना चाहता हूं क्योंकि कश्मीर का मसला खाली कांग्रेस पार्टी का नहीं है, यह पूरे हिंदुस्तान की जनता का मसला है लेकिन मैं गृह मंत्री जी से इतना ज़रूर कहूंगा कि आपने ही यह दर्द दिया है, आपको ही इसकी दवा देनी होगी। ...**(व्यवधान)**...

श्री नरेन्द्र मोहन (उत्तर प्रदेश) : दर्द आप ही लोगों ने दिया है।

श्री गुलाम नबी आज़ाद : आप सुन लीजिए, आपकी बारी आएगी तब बोलिएगा। इसकी शुरुआत 1989 में हुई जिस वक्त वहां के चीफ मिनिस्टर ने बताया कि अगर मेरी मर्ज़ी के बगैर गवर्नर को भेजा गया..... मेरे उस गवर्नर के साथ ज़ाती तौर पर आज भी अच्छे संबंध हैं और तब भी थे लेकिन मैं खाली हालात बता रहा हूं। तो शुरुआत तब हुई जब उन्होंने कहा कि अगर मेरी मर्ज़ी के बगैर किसी गवर्नर को आपने भेजा तो मैं सरकार से इस्तीफा दे दूंगा, और गवर्नर भेजा गया, सरकार ने और चीफ मिनिस्टर ने इस्तीफा दे दिया। उसके नतीजे हम सबके सामने हैं। लेकिन 1991-92 में कांग्रेस की सरकार आई। 1990 में तो ऐसा लग रहा था कि बिलकुल फिसलते-फिसलते बच गए। पूरी वादी सड़कों पर उतर आई, लोग

उतर आए, बूढ़े, बच्चे, औरतें, मर्द - सभी सड़कों पर उतर आए और उन्होंने इस तरह की आवाज़ें बुलन्द कीं जो हिंदुस्तान के लिए, रियासत के लिए और हम सबके लिए अच्छी आवाज़ें नहीं थीं। लेकिन खुशकिस्मती से वह सरकार जल्दी खत्म हो गई और नई सरकार 1991 में आई। 1991 से लेकर 1996 तक कश्मीर घाटी में इस तरह के हालात पैदा किए गए कि वहां 1996 में पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ, विधान सभा का इलेक्शन हुआ। कौन सत्ता में आया, किसने सरकार बनाई, उससे मतलब नहीं है लेकिन लोग निकलकर आए, वे घरों से निकलकर आए और उन्होंने पार्लियामेंट और विधान सभा के लिए वोट दिए। वह एक इंसिडेंट फ्री इलेक्शन था। कश्मीर घाटी में उस वक्त कोई कह भी नहीं सकता था कि इलेक्शन होंगे और अगर इलेक्शन होंगे तो कितने कैंडिडेट मरेंगे, कितने ज़िंदा रहेंगे। आज मैं यह कह सकता हूं कि एक भी कैंडिडेट न सिर्फ किसी पोलिटिकल पार्टी का बल्कि कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट तक नहीं मारा गया और हर जगह पोलिंग हुई और सरकार बनी। उसके बाद बीच में युनाइटिड फ्रंट की सरकार आई। मैं युनाइटिड फ्रंट की सरकार से ज्यादा उम्मीद तो नहीं कर सकता था, वे इतने दिन युनाइटिड रहे यह भी बहुत बड़ी बात थी। पिछले दो-ढ़ाई साल से जब से बीजेपी की सरकार आई है और मैं समझता हूं कि बीजेपी कश्मीर के बारे में मुझसे कई गुणा ज्यादा जानते हैं। क्योंकि जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो माननीय आडवाणी जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी के भाषण हमने सुने, उनकी कश्मीर के बारे में विशेष रुचि रहती थी, जाहिर है रहनी भी चाहिए थी। मैं समझता था कि शायद कश्मीर की प्रोब्लम को ये अच्छी तरह से समझे होंगे। उस वक्त ये अपोजिशन में थे और हम जो भी कदम उठाते थे तो शायद इनको पसंद नहीं आते थे। मैं युनाइटिड फ्रंट से कह सकता हूं कि इसमें हमारे बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो शायद कश्मीर भी नहीं गए होंगे और उनको कश्मीर की हिस्ट्री, कश्मीर की प्रोब्लम के बारे में जानकारी न हो। लेकिन मैं बचपन से, प्राइमरी स्कूल से बीजेपी के टॉप लीडर्स के भाषण और तकरीरें सुनता आया हूं। मैं समझता था कि हममें शायद कमजोरियां होंगी, कोताहियां हुई होंगी और कमियां होंगी और इन कमजोरियों, कमियों और कोताहियों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार न सिर्फ पूरा करेगी बल्कि उनका हल भी निकालने की कोशिश करेगी। लेकिन मुझे अफसोस है कि हालात और भी बदतर हो गए। माननीय गृह मंत्री जी ने अभी अपनी स्टेटमेंट में कहा है और इससे पहले पिछले साल भी इस सदन में कहा था कि हमने प्रो-एक्टिव पॉलिसी अख्तियार की है। यकीनन हम सब प्रो-एक्टिव पॉलिसी चाहते हैं लेकिन मुझे लगा कि आपने तो यहां प्रो-एक्टिव स्टेटमेंट दे दी।आप तो एक्टिव नहीं हुए लेकिन मिलिटेंट्स जरूर प्रोएक्टिव हो गए। इससे पहले भी लोग मारे जाते थे। कई जगह ग्रुप्स में लोगों को मारा गया तो आपने फर्माया कि हमने प्रो-एक्टिव पॉलिसी शुरू की है। इसके बाद मिलिटेंट्स ने बांडीपुरा, बारामूला डिस्ट्रिक्ट्स में बीएसएफ की छावनी पर हमला

किया और 15 लोग मारे गए। इसके बाद श्रीनगर में सीआरपीएफ की छावनी पर हमला हुआ और वहां लोग मारे गए। श्रीनगर शहर के बादामी बाम, कंटोनमेंट एरिया में जहां लेफ्टिनेंट जनरल रहते थे वहां मिलिटेंट्स आए और हमारे फौजी लोगों को मारा। इसके बाद राजौरी में ब्रिगेड हैडक्वार्टर पर मिलिटेंट्स ने हमला किया। श्रीनगर में जो जम्मू कश्मीर की लीड फोर्स है, टास्क फोर्स है उसके हैड क्वार्टर पर जहां 1200, 1400 लोग रहते हैं, वहां हमला हुआ और पूरे चौबीस घंटे टास्क फोर्स को बंदी बनाकर रखा गया। जब से गवर्नमेंट ने प्रो-एक्टिव पॉलिसी का ऐलान किया है, गवर्नमेंट एक्टिव नहीं हुई, मिलिटेंट्स प्रोएक्टिव हुए। इस तरह की कुल 11 घटनाएं हुई। इनमें सीआरपीएफ, बीएसएफ और आर्मी के लोग मारे गए। जहां हमारी फौजों पर हमले हों तो फिर हम किस तरह से वहां लोगों में आत्मविश्वास पैदा कर सकते हैं। यह बहुत ही गंभीर बात है और इसकी तरफ हमें ध्यान देना चाहिए। माननीय चेयरमैन साहब सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अब तक 32,000 के करीब कश्मीर के आवाम, सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंट्स मारे गए हैं। लेकिन मेरा अंदाजा है कि 50,000 और 70,000 के बीच यह आंकड़ा होगा। कश्मीर ऐसी जगह है जहां पूरी आबादी एक करोड़ से ज्यादा है और कश्मीर घाटी तथा अन्य क्षेत्र में जहां-जहां मिलिटेंट्स हैं उनकी आबादी 60 लाख से ज्यादा है। अभी तीन साल पहले मेरठ और यूपी में एक डिस्ट्रिक्ट की आबादी 70 और 90 लाख के बीच थी। इसका मतलब यह हुआ कि यूपी के एक डिस्ट्रिक के आधे हिस्से के बराबर आबादी के हिसाब से जिस स्टेट को हम मानें अगर उसमें पचास से सत्तर हजार आदमी मारे जाएं और हम कुछ भी न कर सकें, तो यह बहुत अफसोस की बात है। मैं यह नहीं कहता कि हिंदुस्तान के दूसरे हिस्सों में घटना हो और हम चौकन्ने न हों। लेकिन हम देखते हैं कि देश के बाकी हिस्सों में जब कोई घटना होती है, चार आदमी मरते हैं, दस आदमी मरते हैं तो पूरा हिंदुस्तान जाग उठता है लेकिन जहां पचास से सत्तर हजार मर गए वहां हम अभी तक नहीं जाग पाए। यह देश और सब के लिए चिंता का विषय है। ओनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने फरमाया कि बहुत सारे स्टेप्स हमने लिए हैं लेकिन कम्युनिकेशन आज भी नहीं है। मेरा कम्युनिकेशन से मतलब टेलीफोन से नहीं है। टेलीफोन तो है ही नहीं लेकिन यदि यहां से फोर्सेस के बीच अपना प्रोग्राम कश्मीर घाटी में भेजना चाहें तो मिलिटेंट्स को पहले मालूम हो जाता है और हमारी पुलिस को बाद में। एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाना हो तो मिलिटेंट्स को पहले मालूम होता है। हमारे लोग उन्हें इंटरसेप्ट करते हैं और वे हमें इंटरसेप्ट करते हैं। कम्युनिकेशन न के बराबर है। अगर निल कहूं तो निल के बराबर है।

ट्रांसपोर्ट के विषय में, ट्रांसपोर्ट में मैं बसों की बात नहीं कर रहा हूं, पुलिस के पास जो ट्रांसपोर्ट है वह बहुत ही दकियानूस तथा न के बराबर है। हथियारों का आपने जिक्र किया। हथियारों पर मैं चर्चा नहीं करना चाहता हूं क्योंकि यह बहुत ही सेंसिटिव मामला है।

इससे हमारे दुश्मनों को ज्यादा फायदा हो जाएगा अगर मैं बताऊंगा कि किस प्रकार के हथियार हमारे पास हैं। लेकिन इस तरह के हथियारों से जिससे कि स्कूल और कॉलेज में एन.सी.सी. की ट्रेनिंग लेते हैं, यकीनन वे एन.सी.सी. के ट्रेनिंग करने वाले हथियार हैं, उनसे अफगान मिलिटेंटों या सूडान मिलिटेंटों का मुकाबला नहीं किया जा सकता। यह ठीक है कि यदि एक बटालियन या दूसरी बटालियन को सोफिस्टीकेटेड हथियार दिए तो उससे पूरा मसला हल नहीं हो सकता क्योंकि आज भी गांव में जहां सिक्योरिटी फोर्सेस या पुलिस भी हैं उन्हें खुद उनका मुकाबला करना पड़ता है। अगर हमने एक डिस्ट्रिक्ट को अच्छे हथियार दिए, सोफिस्टीकेटेड हथियार दिए और दूसरी जगह थ्री नॉट थ्री दिए तो उसका उन पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। मेरे ख्याल से हमें सबसे ज्यादा जरूरत है हथियारों की जिनमें कि पुलिस वालों का, सिक्योरिटी पर्सनल का आत्मविश्वास हो। अगर एक पुलिस वाले या आर्मी के सिपाही के पास अपने बचाव के लिए अच्छे कपड़े हों, उसके पास बुलेट प्रूफ जैकेट हो, अच्छी बंदूक हो, अच्छे हथियार हों तो वह आत्मविश्वास के साथ लड़ सकता है लेकिन अगर उसे पहले से ही मालूम है कि दूसरे के पास ज्यादा पावरफुल हथियार हैं तो मैं नहीं समझता कि वह लड़ सकेगा, लड़ने के लिए तैयार हो पाएगा। यदि तैयार हो भी गया तो हार कर या मर कर आएगा। हमें इसकी तरफ सबसे ज्यादा ध्यान देना होगा। आज एक तरफ जहां मिलिटेंसी हो रही है वहीं जम्मू में पलांवाला कोड या आर.एस.एस.पुरा में पिछले दो साल में इतनी जबर्दस्त शैलिंग पाकिस्तान की तरफ से हो रही है। मेरा खयाल है कि पिछले साल एक लाख के करीब इस एरिया में अखनूर और आर.एस.एस.पुरा की ओर से जम्मू में लोग आए थे। अभी भी तकरीबन पचास हजार के करीब लोग जम्मू में बैठे हैं। वे अपने खेतों में नहीं जा रहे हैं। अपने मवेशियों को नहीं ले जा पा रहे हैं। कारगिल का युद्ध हमने देखा। कारगिल में क्या हुआ? उसके बारे में जब डिफेंस पर चर्चा होगी, दो-चार दिन में, इसलिए मैं कारगिल में नहीं जाना चाहूंगा, उस वक्त बोलूंगा, जब डिफेंस मिनिस्ट्री की चर्चा होगी। माननीय सभापति महोदय, सबसे जरूरी है आत्मविश्वास। हथियार आ सकते हैं, उनका मॉडर्नाइजेशन भी किया जा सकता है, कम्युनिकेशन भी एस्टेबलिस हो सकता है, ट्रांसपोर्ट भी दिया जा सकता है लेकिन विश्वास प्राप्त करना सबसे मुश्किल काम है। दुर्भाग्य से मुझे अफसोस और चिंता के साथ कहना पड़ता है कि आज अविश्वास घाटी में जनता, सरकार और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच है। कोई भी किसी पर विश्वास नहीं करता। किसी को किसी पर विश्वास नहीं है और जब विश्वास नहीं है तो फिर मैं समझता हूं कि हम तो एक बारूद के ढेर पर बैठे हैं जहां हमें एक दूसरे पर विश्वास ही नहीं है। क्या वजह है कि वहां के लोग हम से हर साल, हर महीने दूर होते जा रहे हैं। मैं जब भी दो महीने, तीन महीने, चार महीने के बाद कश्मीर जाता हूं, मैं देखता हूं कि लोग दूर ही जा रहे हैं, नजदीक नहीं आ रहे हैं। यह इसलिए कि उनको हमारे

पर भरोसा नहीं रहा है। सरकार, आज की सरकार- मैं यह नहीं कहता कि आज ही यह अविश्वास का माहौल या वातावरण हुआ। जब हम भी सरकार में थे, 1991 में और 1996 में, उस वक्त भी इस तरह की घटनायें होती थी, उस दफा भी वारदातें होती थीं, जिससे अविश्वास पैदा होता था। लेकिन अंतर इतना है कि उस वक्त जब भी कहीं किसी तरह की घटना होती थी तो 24 घंटे के अंदर, 36 घंटे के अंदर, 72 घंटे के अंदर यहां से कोई न कोई मंत्री जाता था, कोई न कोई आदमी जाता था और उनका विश्वास प्राप्त करने की कोशिश करता था, उसका समाधान निकालने की कोशिश करता था और किसी को डांट-डपट कर, किसी का तबादला कर या किसी को सजा देने की वह कोशिश करता था। लेकिन मुझे अफसोस है कि पिछले एक-दो सालों से ऐसा नहीं होता। जिन बातों का मैंने जिक्र किया कि इतनी घटनायें हुईं तो सेक्युरिटी फोर्स के साथ भी जब इस तरह की घटनायें हुई तो उसमें शायद एक आध दफा कोई चला गया हो लेकिन वहां भी कोई नहीं जाता। मैं जानता हूं कि हमारे फौजी, जो हमारे रक्षक हैं आज कश्मीर में सबसे ज्यादा कुर्बानी दे रहे हैं, कश्मीर की सीमाओं को बचाने के लिए अपनी कुर्बानी दे रहे हैं। यहां और हिन्दुस्तान की दूसरी सीमाओं को बचाने के लिए अगर कोई सबसे ज्यादा कुर्बानी देता है तो वह वहां के बार्डर के लोगों के साथ साथ हमारी फौज है, हमारी सेक्युरिटी फोर्स है। ये लोग भी हमारा खून हैं, ये भी किसी के भाई हैं, किसी के बेटे हैं। लेकिन अगर मैं यहां एक बात नहीं बताऊंगा तो मेरे ख्याल से मैं कश्मीर और कश्मीर के लोगों के साथ बड़ी बेइंसाफी करूंगा कि मिलिटेंसी मिजोरम में हुई, मिलिटेंसी असम में हुई, मिलिटेंसी पंजाब में भी हुई और इत्तफाक से जिस वक्त इन तीन सूबों में मिलिटेंसी अपने अंतिम चरण में थी, उस वक्त मैं होम मिनिस्ट्री में मिनिस्टर ऑफ स्टेट था और इत्तिफाक से इन तीनों सूबों का चार्ज मुझे खासतौर से दिया गया था। लेकिन उस वक्त हमने बैकलैश नहीं देखा। अगर कहीं लोग मर गए तो उसका बैकलैश नहीं देखा। लेकिन कश्मीर में बैकलैश तो अब दिन में बीस दफा हो जाता है। यह कश्मीर में क्यों हो रहा है? यही सबसे बड़ी वजह कश्मीर के अवाम की एलिअनेशन की है। आज भी असम में मिलिटेंसी है, आज भी नागालैंड में मिलिटेंसी है, हम रोज पढ़ते हैं और सुनते हैं कि आज इतने लोग बम ब्लॉस्ट में मारे गए। लेकिन बैकलैश की बात हम सुनते नहीं हैं। लेकिन कश्मीर में अगर कोई मरा, किसी मिलिटेंट ने किसी छावनी पर हमला किया तो उसके बाद जो हमारे भाई निकलते हैं तो जो हाथ आ गया वह बच नहीं सकता। चाहे वह गुलाम नबी आजाद हो या आप में से कोई रामलाल या श्यामलाल हो, वह बच नहीं सकता और इसकी सबसे बड़ी वजह यही है। कौन कहता है मिलिटेंट के साथ नहीं लड़ना चाहिए? हम सब कहते हैं कि जब तक आप मिलिटेंट्स को नहीं मारेंगे तब तक कश्मीर में मिलिटेंसी खत्म नहीं हो सकती। लेकिन क्या वजह है कि दस साल पहले तीन सौ मिलिटेंट कहते थे और आज दस हजार, बीस हजार,

तीस हजार, चालीस हजार या पचास हजार को मारने के बाद भी वह खत्म नहीं हो रहे हैं? वजह है कि जब हम मिलिटेंट्स को मारते हैं तो उससे अवाम खुश होती है लेकिन अगर गलती से या जाने-अनजाने में इस बैकलैश के चक्कर में जब हम दूसरे लोगों को मारते हैं तो सैकड़ों मिलिटेंट पैदा हो जाते हैं। मैं इस बात को बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं। यहां की सरकार के खास तौर से गृह मंत्री और डिफेंस मिनिस्टर दोनों के बीच में तालमेल नहीं है। लॉ एंड आर्डर होम मिनिस्टरी देखती है और फोर्सिज़ कुछ डायरेक्टली डिफेंस मिनिस्टरी के अंडर हैं। हम अपने साथियों का, फोर्सिज़ की हिफाज़त का पूरा बंदोबस्त करें, उनकी प्रोटेक्शन का पूरा बंदोबस्त करें, उनको हथियार दें मिलिटेंट्स से लड़ने के लिए लेकिन आवाम को अपने साथ, जनता को अपने साथ लेने का जब तक हम बंदोबस्त नहीं करेंगे, कश्मीर में मिलिटेंसी खत्म नहीं होगी, कश्मीर में मिलिटेंसी बढ़ती रहेगी। हर दिन, हर सुबह 20-25 लोग हमारे यहां आते हैं, मैं कश्मीर की बात नहीं कर रहा हूं, दिल्ली में आते हैं, किसी का भाई, किसी का बेटा, मारा जाता है और जो कहानियां वह बताते हैं, बहुत ही दर्दनाक होती हैं। उन दर्दनाक कहानियों का हमें हल निकालना है। कश्मीरी आवाम बुनियादी तौर से सेकुलर है। एक बहुत गलतफहमी है कश्मीर के बारे में कि बहुत कम्युनल लोग रहते हैं। मैं आज भी कहता हूं कि इतनी मिलिटेंसी होने के बावजूद भी कश्मीर में जितना सेकुलरिज्म है, हिन्दुस्तान के किसी कोने में नहीं है। मिलिटेंट्स को छोड़ कर, मैं कश्मीरी आवाम की बात करता हूं, आज भी मेरे ख्याल में हमारे एस.पी. से ले कर डायरेक्टर जनरल (पुलिस) तक मुस्लिम डोमिनेटेड स्टेट होने के बावजूद भी, डा. कर्ण सिंह जी यहां बैठे हैं, अगर मैं गलत हूं तो मुझे दुरुस्त करेंगे, 80 प्रतिशत नान-मुस्लिम आफिसर हैं, कलक्टर से ले कर चीफ सेक्रेटरी तक और प्रिंसिपल सेक्रेटरी तक...**(व्यवधान)**...

श्री संघ प्रिय गौतम (उत्तर प्रदेश) : सिपाही और दरोगा कितने प्रतिशत हैं?

श्री गुलाम नबी आज़ाद : 80 से 90 प्रतिशत नॉन मुस्लिम हैं। यह किसी दूसरी स्टेट में नहीं हो सकता है। यूनाइटिड फ्रंट सरकार की तरफ से उस वक्त जून 1990 में एक डेलीगेशन कश्मीर गया। उसमें डिप्टी प्राइम मिनिस्टर उसके लीडर थे और राजीव गांधी उस समय लीडर आंफ दी अपोज़ीशन थे, जसवंत सिंह जी भी उसमें थे, मैं भी था। लेकिन रात भर हम कहीं जा नहीं पाए थे और राजीव गांधी ने तीन दिन तक लोगों को सुना। उन्होंने कहा कि मेरी तो आंखें खुल गई, मैं तो समझता था कि कश्मीर में मुस्लिम आबादी है, यहां मुझे कहीं नॉन मुस्लिम आफिसर मिलेगा नहीं लेकिन उस वक्त 90 फीसदी गज़टेड आफिसर खास तौर से डी.एस.पी. से ले कर डायरेक्टर जनरल (पुलिस) तक और डी.सी. ले कर चीफ सेक्रेटरी तक नॉन मुस्लिम हैं, यह कैसे हैं। लेकिन उस वक्त भी नहीं और आज तक नहीं, मिलिटेंट्स

ने कुछ आवाज़ उठाई। कश्मीरी लोगों ने, कभी इधर-उधर से कुछ सेक्शंस ने आवाज़ उठाई लेकिन आज तक किसी ने यह आवाज़ नहीं उठाई कि यहां इस कम्युनिटी के आफिसर ज्यादा गये हैं या उस कम्युनिटी के ज्यादा हैं। उससे मन लगता है कि बेसिकली कश्मीरी मुस्लिम हिन्दू मुस्लिम पर विश्वास नहीं करता, यह नहीं सोचता कि कौन आफिसर किस कम्युनिटी का है, उसका धर्म क्या है जबकि हिन्दुस्तान के दूसरे सूबों में यह बहुत बड़ा फैक्टर है। कश्मीरी आवाम शान्ति चाहता है, प्रेम और प्यार चाहता है, वह विश्वास चाहता है। उनके साथ खाली हम ताकत का इस्तेमाल करें तो मेरे ख्याल में ताकत से लाशें गिनी जा सकती हैं लेकिन ताकत से दिल नही जीते जाते। आज ज़रूरत है, मेरे ख्याल में हमें मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रेटेजी की। दो तीन किस्म के मिलिटेंट हैं। एक तो हार्ड कोर मिलिटेंट हैं जो पाकिस्तान की तरफ से हैं या उनकी तरफ से भेजे गए हैं या उनकी मदद करते हैं। उनका इलाज बंदूक है। इसके इलावा कुछ नहीं है। दूसरे बीच वाले हैं। कभी कभी वह सरेंडर करते हैं। लेकिन सरेंडर करने के बाद किस में इस्तेमाल वे किये जा रहे हैं, मेरे ख्याल में उसको सुन कर रौंगटे भी खड़े होते हैं। जो सरेंडर्ड मिलिटेंट्स हैं और जो हमारी फोर्सेज के साथ हैं उनसे क्या काम लिया जाता है, मेरे ख्याल में उस पर आप कभी मीटिंग बुलाएं तो मैं चर्चा करूंगा, इस सदन में चर्चा नहीं कर सकता हूं। किन लोगों के साथ वे क्या सलूक करते हैं उसकी भी चर्चा नहीं कर सकता हूं। कुछ ऐसी चीजें हैं जो देश के हित में, राष्ट्र के हित में हमको कहनी नहीं चाहिएं क्योंकि कहेंगे तो आग लग जाएगी और वह आग हम नहीं लगाना चाहते हैं, बुझाना चाहते हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप कभी मीटिंग बुलाइए। अफसोस तो यह है कि कश्मीर के विषय को लेकर ब्रितानिया में मीटिंगें होती हैं, अमेरिका में मीटिंगे होती हैं लेकिन पार्लियामेंट में कालिंग अटेंशन लाकर हमें चर्चा करनी पड़ती है। सरकार के द्वारा कोई मीटिंग कोई चर्चा किसी से भी नहीं होती है। यह सबसे बड़े अफसोस की बात है। अभी दो महीने पहले छत्तीसिंहपुरा की घटना हुई थी और माननीय आपोजीशन लीडर के नेतृत्व में हम वहां चले गए थे। उसके बाद कांग्रेस प्रेजीडेंट सोनिया गांधी के नेतृत्व में हम सबका, एक डेलीगेशन गया था। अम्बिका सोनी जी थीं, बाकी साथी थे। तो हमने प्रधान मंत्री जी से भी यही कहा था कि चर्चा तो कभी करें। आप मिलिटेंट्स की बात करते हैं कि हम मिलिटेंटों से चर्चा करेंगे। आप कहते हैं कि हम दूसरे लोगों से बात करते हैं। आपने अभी तक - जम्मू-कश्मीर के 10 एम पीज हैं - उनसे बात नहीं की। कोई ज्यादा नहीं हैं, 20 या 100 या 80 नहीं हैं और सब पोलिटिकल पार्टीज को रिप्रेजेंट करते हैं। नेशनल कान्फ्रेंस को रिप्रेजेंट करते हैं, बी.जे.पी. को रिप्रेजेंट करते हैं, कांग्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं। उनकी बात तो अलग है। माननीय गृह मंत्री जी आप कम से कम 10 एम पीज से तो बात कर लें - जो तीन पोलिटिकल पार्टीज से, तीनों रीजन्स से - लद्दाख, कश्मीर घाटी और जम्मू से हैं। कम से कम उसमें शायद हम

आपकी मदद ही करेंगे। हम वहां लड़ाई नहीं करेंगे। जो हमारे पास इन्फारमेशन है जो हम प्रेस में नहीं बता सकते हैं जो हम सदन में नहीं बता सकते हैं - बहुत सारी चीजें अखबारों के लिए नहीं हैं, मीडिया के लिए नहीं हैं उनसे काम खराब होता है - लेकिन कम से कम आपके कमरे में हम आपको देश के हित के लिए बता सकते हैं, कश्मीर के हित के लिए बता सकते हैं। लेकिन वह मीटिंग भी कभी नहीं होती और चर्चा भी कभी नहीं होती है।

जैसा मैंने अर्ज किया था कि आज एक और जो कश्मीर में प्राब्लम है वह यह है कि आगे खाई है और पीछे कुआं। मैंने प्रधान मंत्री जी के सामने भी - जब हम लोग उस दिन थे, पूरा डेलीगेशन था उस वक्त आप शिमला चले गए थे, जिसमें प्रिंसिपल सैक्रेट्री और होम सैक्रेट्री वगैरह थे - हमने यह कहा था कि दिन को फोर्सेज आती हैं चाहे जम्मू-कश्मीर की पुलिस हो, आर्मी हो, सी आर पी हो और रात को मिलिटेंट्स आते हैं। दोनों से बचना मुश्किल है। जो मिलिटेंट्स से बचेगा वह आर्मी से नहीं बचेगा। जो आर्मी से बच गया वह मिलिटेंट्स से नहीं बच सकता। मरना दोनों तरफ से निश्चित है। मौत जो है वह अटल है। ऐसी घटना आप कभी नहीं देख सकते हैं। इसी लिए मैं यह कह रहा हूं कि यह खाली जम्मू-कश्मीर में है, यह दूसरे सूबों में नहीं है जो एलीनिएशन का दूसरा काज है। रात को 50 मिलिटेंट्स बंदूक लेकर आते हैं। मेरे घर में गए, उसके घर में गए। वे हिन्दू और मुसलमान को नहीं देखते, सिख और ईसाई भी नहीं देखते। उनको रात को ठहरने के लिए जगह और खाने के लिए रोटी चाहिए। 40-50 मिलिटेंट्स जब आते हैं तो बंदूक की नोक पर कहते हैं कि आप खाना पकाओ, हमें खाना खिलाना है। अगर कोई खाना नहीं खिलाएगा तो जाहिर है कि वह जिंदा नहीं रह सकता है और जिंदा रहने के लिए जरूर वह खाना खिलाएगा चाहे उसका धर्म और जाति कुछ भी हो, कितना बड़ा सेक्यूलर और राष्ट्रवादी हो। मैंने अभी तक देखा नहीं है कि कोई कहेगा कि अच्छा मुझको मार दो मैं खाना नहीं खिलाऊंगा। कोई साथी बता रहे थे कि उस दिन प्रधान मंत्री जी ऐसा कह रहे थे। मैंने कहा कि दिल्ली के एयरकंडीशंड बंगलों में बैठकर यह कहना बड़ा आसान है कि क्यों खाना खिलाते हैं। लेकिन जरा एक दिन वहां जाकर बैठ जाएं डाक बंगलों में और सरकिट हाउस में बगैर सिक्योरिटी के, अगर सुबह तक खाना नहीं खिलाया उन दूसरे लोगों से भी ज्यादा, डबल तो मेरा नाम नहीं। यहां दिल्ली में एयरकंडीशन में गार्ड्स की सिक्योरिटी में बैठकर कहना कि उसने खाना खिलाया, उसके साथ ऐसा क्यों किया, आसान है। यह बात विशेष रूप से उस संदर्भ में कही गयी कि छत्तीसिंहपुरा के लोगों के साथ उनका आना, बैठना, खाना पिलाना था। खाली छत्तीसिंहपुरा नहीं, कश्मीर के हर गांव में, जम्मू के हर गांव में, चाहे वह सिख है, मुसलमान है या हिन्दू है, जहां भी मिलिटेंट जाएगा वहां रात को अपनी जान बचाने के लिए उसको खाना खिलाना पड़ेगा। लेकिन यह कहना कि वह खाना खिलाता है, वह उसके घर जाता है, तो यह कोई

बहाना नहीं है। जब रात को खाना खिलाया उस वक्त तो हमारे साथी नहीं जायेंगे, क्योंकि रात को भी कभी-कभी इत्तला मिलती है, लेकिन उस वक्त नहीं जायेंगे। परन्तु जब वे वहां से निकल जाते हैं, मालूम हुआ कि मिलिटेंट चले गए, तब वहां जाते हैं। अगर मिलिटेंट के होते हुए जाते तब तो बात थी। लेकिन एक भी घटना नहीं हुई है कि जब मिलिटेंट खाना खा रहे हों और उन पर हमला किया गया हो। यदि ऐसा होता तो मैं इसे बहादुरी की बात मानता। जब असर्टेन कियाऔर यकीन हो गया कि मिलिटेंट चले गए तो सुबह पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि आपने रात को मिलिटेंटों को खाना खिलाया। अब क्या रात को आपको मालूम नहीं था? आप रात को क्यों पकड़ने नहीं गए? फिर वे बच नहीं सकते हैं। कितने उस घर में लंगड़े होते हैं, अंधे होते हैं, कितने मर जाते हैं। जब तक हम समझाने में कामयाब नहीं होंगे हमारे फोर्सेस को मेरे ख्याल में खाने-पिलाने का सिलसिला तो जारी रहेगा। जब तक वहां मिलिटेंट हैं तब तक उनको पकड़ने का और जिसने खाना खिलाया उसको मारने का सिलसिला जारी रहेगा और फिर यह चूहे बिल्ली का खेल बराबर कायम रहेगा। यह कभी खत्म नहीं होगा। गृह मंत्री जी को और रक्षा मंत्री जी को, दोनों को इसकी तरफ ध्यान देना होगा। धन्ना मंडी में क्या हुआ, बुंदो डिस्ट्रिक्ट में क्या हुआ, यह सब तो मीटिंग में ही मैं कह सकता हूं , क्योंकि यह तो आग लगाने वाली चीज़ है। इसे यहां नहीं कहना चाहिए। लेकिन अनंतनाग का जरूर कह सकता हूं, क्योंकि वह पेपरों में आया है। छत्तीसिंहपुरा की घटना के बाद क्या हुआ कि जिन चीज़ों पर हम कई सालों से पर्दा रखते थे, वह पर्दा फाश हो गया। हमने कई चीज़ों पर कहा था कि कमीशन बैठायेंगे लेकिन नेशनल इंटरेस्ट के लिए उसे दबा लिया। चीफ मिनिस्टर को विधान सभा में कहना पड़ा कि नेशनल इंटरेस्ट के लिए और जो हमारे साथी हमारी मदद करते हैं हम उसकी रिपोर्ट नहीं दे सकते। लेकिन छत्तीसिंहपुरा के बाद जो अनंतनाग में घटना हुई वह हमारे लिए, फौज़ के लिए, फोर्सेस के लिए, न सिर्फ जम्मू-कश्मीर के लिए, बल्कि पूरे हिन्दुस्तान के लिए चौंकाने वाली बात है। खाली दिखाने के लिए यह कहा कि छत्तीसिंहपुरा की घटना में जो मिलिटेंट इन्वाल्व थे हमने उनको मार दिया, जबकि उनके नाम पर कहीं गांव के लोग पकड़ कर अंधेरी रात में मार दिये और दफना दिये। आज तक जितनी भी घटनाएं हुई मेरे ख्याल में वह पहली गलती इनसे हुई। क्योंकि उन सब घटनाओं में जिनका मैं जिक्र अभी कर रहा था बुंदो का, धन्ना मंडी का, वहां उन्होंने जला दिया था , इसलिए किसी की शिनाख्त नहीं हो पाई। लेकिन यहां शायद उनको जलाने का मौका नहीं मिला, उनको कब्र में डाल दिया और कब्र से जब निकले तो वे सब लोकल थे और जो टेलीविज़न पर हम सब को दिखाया गया था कि फॉरेन मर्सिनरीज़ हैं, उनमें से एक भी फॉरेन मर्सिनरी नहीं था, सब लोकल निकले। यह सब करने के बाद हम किसको धोखा दे रहे हैं किसका हम विश्वास प्राप्त कर रहे हैं? हम अपने आपको धोखा दे रहे हैं। अगर अपने

आपको धोखा देंगे तो यकीनन हम नुकसान उठायेंगे, देश नुकसान उठायेगा, मुल्क नुकसान उठायेगा और हमारी एकता, हमारी अखंडता, हमारा प्रेम और प्यार जिस पर विश्वास होता था वह सब खत्म होगा। हिन्दुस्तान भर में जितने भी दंगे पिछले 40-50 वर्षों में हुए, हमेशा जहां भी हम दंगों में गए सब से पहले लोग कहते थे कि साहब, लोकल पुलिस को हटा लीजिए, हमको आर्मी भेज दीजिए। चाहे बंबई के दंगे हों, भिवंडी के दंगे हों, यू.पी. के दंगे हों, हैदराबाद के दंगे हों, एक विश्वास हमारी फोर्सेस पर बना था और अगर वह विश्वास भी उठ गया तो फिर मैं नहीं सोचता कि ऐसे मौकों के लिए कौन किसको बुलायेगा और कौन हम सब लोगों को इकट्ठे रख सकता है। इस मिलिटेंसी के और भी पहलू हैं। वह है महंगाई का, महंगाई तो वैसे पूरे हिन्दुस्तान में है, लेकिन कश्मीर में जो पिंच है वह जरा ज्यादा है क्योंकि कश्मीर में 6 महीने बर्फ रहती है। आप सब को मालूम है कि कश्मीर में कोई उद्योग नहीं है। कोई इंडस्ट्री नहीं है। वहां एक ही इंडस्ट्री थी, टूरिज्म इंडस्ट्री जिस में गर्मियों में लोग जो कुछ कमाते थे, उस से बचाकर सर्दियों में खाते थे। लेकिन 10 सालों से टूरिज्म इंडस्ट्री भी बंद हो गयी है और लोकल इंडस्ट्री कोई नहीं है। तो आदमी खाएगा क्या? फिर वहां के लोगों की खुराक तो वह मोटा चावल है जिसे हिंदुस्तान में कोई नहीं खाता क्योंकि वह खाने लायक नहीं होता और मेरी समझ में भी नहीं आता कि वह कश्मीरियों को क्यों पसंद आता है। अब उस पर भी साढ़े 4 रुपए प्रति किलो बढ़ गए हैं जिस की वजह से कुछ दिनों तक कश्मीर में हड़ताल भी रही, लेकिन उस की कहीं चर्चा नहीं हुई। मैं जानना चाहूंगा कि चावल के दाम साढ़े 4 रुपए बढ़ाने की क्या जरूरत थी? रसोई गैस के दाम तो बाकी जगहों के साथ-साथ कश्मीर में भी 50 रुपए बढ़ाए गए, चाय के दाम बढ़ाए गए और मिट्टी के तेल पर 5 रुपए बढ़ा दिए जबकि मेरे ख्याल में कश्मीर में और पहाड़ी इलाकों में आज भी लोग रोशनी के लिए इस्तेमाल करते हैं। उस के दाम 6 रुपए से सीधे 11 रुपए कर दिए गए। ये तमाम चीजें वहां के लोगों की निराशा में इजाफा करती हैं।

सभापति जी, वहां दो किस्म के लोग थे - एक पढ़ा-लिखा वर्ग जिस में हमारे कश्मीरी पंडित भाई थे। मुझे अफसोस है, कश्मीरी पंडितों को वहां से निकलना पड़ा और सांप, बिच्छुओं के बीच रहना पड़ा, जम्मू, दिल्ली, मुंबई और दूसरे सूबों की सड़कों पर जाना पड़ा। पिछले 10 सालों में उन्होंने कौन-कौन सी मुश्किलात का सामना नहीं किया है, उस का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। मैं समझता हूं कि सब से ज्यादा उन्हें तकलीफ क्लाइमेटिक कंडीशंस के कारण हुई जिन के वह आदी नहीं थे। उन के परिवारों और बच्चों को कई तरह की मुसीबतें झेलनी पड़ीं। तो एक तो वह कम्युनिटी है और दूसरी मुस्लिम बिजनेस कम्युनिटी है। वह भी भाग गयी, माइग्रेट हो गए और कश्मीर में अब सिर्फ एक केटेगरी बिलो पावरटी लाइन वालों की है। दूसरा कोई वर्ग वहां नहीं है। सब लोग निकल गए हैं। जिन के पास

रोजगार थे, उन के जम्मू में घर बन गए चाहे वे मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हों या दूसरी कम्युनिटी के हों। उन के साथ भी हम न्याय नहीं कर पाए। फिर सिख कम्युनिटी के लोग हैं जोकि बाकी स्टेट्स में तो बहुत अमीर हैं, लेकिन कश्मीर की वादी में वे भी गरीब हैं। वहां उन के एक सौ से ज्यादा गांव हैं। वे कश्मीर में सुरक्षित थे, लेकिन पिछले दो महीने से वे भी मिलिटेंसी की लपेट में आ गए हैं। वह भी बहुत गरीब हैं और उन की तरफ भी ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन ये सब चीजें तब हो सकती हैं जब केन्द्रीय सरकार का जम्मू-कश्मीर की तरफ ध्यान हो। महोदय, मैंने इसी सदन में पिछले साल प्रधान मंत्री जी से कहा था जब कि कश्मीर के सवाल पर फाइनेंस मिनिस्टर बोल रहे थे कि खाली फाइनेंस मिनिस्टर के बस का यह काम नहीं है। प्रधान मंत्री को खुद इस में रुचि लेनी चाहिए। कश्मीर के मामले में पंडित जवाहर लाल नेहरू से लेकर नरसिंह राव तक कांग्रेस के शासन काल में इंदिरा गांधी, राजीव गांधी खुद रुचि लेते थे चाहे उन का सब्जैक्ट हो या न हो, चाहे पावर की बात हो, अनाज नहीं मिले, तेल नहीं मिले तो प्रधान मंत्री जी दखल देते थे क्योंकि एक तो वह बहुत दूर है और दूसरे बरफ से ढका रहता है। महोदय, जितने भी दूर-दराज के क्षेत्र हैं, वहां के लोगों को इनफीरियरटी कांपलेक्स काफी रहता है जैसे हमारे नॉर्थ ईस्ट में होता था, लेकिन आज वह नहीं होता है। जैसे प्लानिंग कमीशन को यू.पी. के लिए पैसा देना है not keeping into account what is happening in Jammu & Kashmir.

सभापति जी, मैं बेकारी का जिक्र कर रहा था। वहां हार्ड-कोर मिलीटेंट्स और सॉफ्ट कोर मिलीटेंट्स को छोड़कर एक नौजवान तबका है जो अपनी बेकारी और बेरोजगारी की वजह से मिलीटेंसी की तरफ एट्रैक्ट हो जाता है। आप अंदाज लगा सकते हैं, एक लड़का है जिस की 4,5,6 बहनें हैं जिन में कोई 30 साल और कोई 35 साल की है। उसे उन की शादी भी करनी है। अब उस के पास नौकरी नहीं है, इंडस्ट्री नहीं है, रोजगार नहीं है और कोई मिलीटेंट कहेगा कि मैं तुम को बंदूक देता हूं और महीने के 5 हजार दूंगा तो उस को अपनी परिस्थिति में यह चुनना होगा कि वह अपनी बहनों की शादियां करेगा, घर में मरेगा या बंदूक उठाना पसंद करेगा। उसे बंदूक उठाने से 5 हजार रुपए तनख्वाह भी मिलेगी और कुछ लूटपाट कर के भी पैसा मिलेगा। इन के बीच में वह बंदूक उठाकर, हथियार उठाकर पैसा जमा करना चुनेगा। उसके लिए भी हमको ध्यान देना है। डेवलपमेंट के लिए आज वहां पैसा नहीं है।

आप पांचवें वेतन आयोग की रिपोर्ट लाए और इससे 500 करोड़ रुपए का जम्मू-कश्मीर पर बोझ आ गया। 500 रुपया नहीं है जम्मू-कश्मीर के पास, वह 500 करोड़ रुपया कहां से लाए पांचवें वेतन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने के लिए? अगर पांचवें वेतन आयोग की रिपोर्ट को वहां लागू करना है तो उसे गवर्नमेंट आफ इंडिया लागू करे।

पांचवें वेतन आयोग की रिपोर्ट को लागू कराने के लिए जम्मू-कश्मीर का सैक्रेटेरिएट दो महीने बंद रहा और मेरे ख्याल में जम्मू-कश्मीर हिन्दुस्तान में पहली स्टेट होगी जिसका सैक्रेटेरिएट पांचवें वेतन आयोग की रिपोर्ट को लागू कराने के लिए दो महीने बंद रहा हो और किसी ने, सैंटर ने ध्यान तक नहीं दिया कि वहां क्या हो रहा है। किसी ने नहीं सोचा कि एक मिलिटेंट डॉमिनेटिड स्टेट के पूरे सरकारी दफ्तर यदि दो महीने बंद रहें तो क्या हो सकता है। मैं दो-तीन मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं।

महोदय, बिजली के बारे में हम चर्चा करते हैं, वहां के बारे में काउंटर गारंटीज़ नहीं दी जाती हैं। जम्मू-कश्मीर पूरे हिन्दुस्तान के लिए बिजली पैदा कर सकता है और अपने लिए भी पैसा कमा सकता है लेकिन उन्हें काउंटर गारंटीज़ नहीं दी जातीं। नार्थ-ईस्ट के लिए और कश्मीर के लिए फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा था कि एक स्पेशल पैकेज दिया जाएगा। नार्थ-ईस्ट के लिए तो पैकेज हुआ, जरूर होना चाहिए और उससे डबल होना चाहिए, लेकिन कश्मीर के लिए वह पैकेज नहीं हुआ। मेरा माननीय गृह मंत्री जी से निवेदन है कि मिलिटेंसी को खत्म करने के लिए और उसका मुकाबला करने के लिए बंदूक का इस्तेमाल तो बहुत जरूरी है लेकिन उसके साथ-साथ डेवलपमेंट भी बहुत जरूरी है, बेकारी को दूर करने के लिए ऐम्प्लॉयमेंट भी बहुत जरूरी है। अगर यह मल्टी प्रोन स्ट्रेटेजी जम्मू-कश्मीर के लिए हम करें तभी जाकर शायद कुछ बातों पर हम काबू पा सकते हैं।

आखिर में माननीय होम मिनिस्टर साहब से मैं 7-8 चीजों पर क्लेरिफिकेशन चाहूंगा।

I would like to know from the hon. Home Minister, what are the steps taken by the Government of India to stop further infiltration क्योंकि फरदर इन्फिलट्रेशन बहुत बढ़ा है। पहले वक्त में हमारे वहां 70 परसैंट लोकल मिलिटेंट थे और 30 परसैंट फॉरेन मिलिटेंट थे लेकिन अब वहां 80 परसैंट फॉरेन मिलिटेंट हैं और 20 परसैंट लोकल मिलिटेंट हैं। इसका मतलब है कि फॉरेन इन्फिलट्रेशन को रोकना बहुत जरूरी है।

So, what are the steps taken by the Government of India? What are the steps taken by the Government of India to wipe out the threat of militancy in the State of Jammu and Kashmir? What are the steps taken or proposed to be taken for the acceleration of developmental work in the State? What is the nature of steps taken, if any, to protect the properties of the migrants in Kashmir, particularly of the Kashmiri Pandits? What steps are being taken for sending the Kashmiri migrants, particularly, the Kashmiri

Pandits, back to their home State? What are the steps taken by the Government for the safety and security of the Sikh community in Kashmir Valley after the Chitisinhpora incident? What measures are being taken or proposed to be taken for the employment of those who are unemployed and are easily attracted towards militancy for their livelihood? What are the steps taken by the Government to prevent the casualities of security forces, in the event of suicide squads which I have mentioned earlier? What are the steps taken to upgrade and modernise the weapons of security forces, in general, and the local police, in particular? What are the steps taken to protect the lives of political leaders?

यहां अभी नेशनल कांफ्रेंस का कोई माननीय सदस्य नहीं है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो मेरे ख्याल से नेशनल कांफ्रेंस के 40 परसैंट ब्लॉक प्रेज़िडेंट अभी तक खत्म हो गए हैं, मैं आफिस बीयरर्स की बात नहीं कर रहा, ब्लॉक प्रेज़िडेंट की बात कर रहा हूं। हमारा नम्बर कुछ कम है, बी.जे.पी. का नम्बर उससे कम है क्योंकि मोस्टली उस एरिया में हम लोगों का ज्यादा इन्फ्ल्युएंस है जहां मिलिटेंसी नहीं है, लेकिन खतरा सबको है। What steps have been taken to strengthen the communication and transport system in the State? What remedial measures have been taken to stop all forms of intimidation and harassment of civilians in the hands of security forces? What efforts have been made to check violation of human rights and killing of innocent civilians even by mistake or in cross firing? What steps have been taken to put a stop to custodial deaths and what action has been taken against the erring officers and forces?

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, we still have eleven more Members who want to associate themselves on this issue. It is 12.55. Afterwards, the Home Minister will respond. How do we go about it? If each Member speaks for five minutes, it would mean another hour or so.

SHRI PRANAB MUKHERJEE (West Bengal): One hour and thirty minutes or so would be required.

MR. CHAIRMAN: I appreciate what you are saying. But we have to decide as to how we go about it.

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Sir, we can finish this. Thereafter, we can take up the legislative business. We will have to sit late in the evening to complete the legislative business. But, on Kashmir, let the Members speak their mind as it is an important discussion.

MR. CHAIRMAN: So, shall we sit through the lunch-break?

SHRI PRANAB MUKHERJEE: No. We can take it up after the lunch-break.

DR. BIPLAB DASGUPTA (West Bengal): Sir, after the lunch-break, the discussion on Kashmir should continue. After the discussion on Kashmir is over, we should take up the legislative business.

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI L. K. ADVANI): Mr. Chairman, Sir, I am entirely in the hands of the House. All that I can plead is that, in the meanwhile, discussion on a Constitution (Amendment) Bill is going on in the other House and I will need just five or ten minutes to go there for voting. Otherwise, whatever you decide is accepable to me.

SHRI PRANAB MUKHERJEE: There will be no problem. Yesterday, the Finance Minister also went and voted there. So, whenever the voting takes place, the Home Minister can go and vote.

THE LEADER OF THE HOUSE (SHRI JASWANT SINGH): Sir, we will go along by all that. There is just one additional detail. Clarifications are to be provided on the statement on Non-Proliferation. I have been in consultation with the Leader of the Opposition also. It would be better if it could be rescheduled. After the discussion on the Calling Attention is over, legislative business can be taken up and finished, and then the clarifications on NPT rescheduled.

DR. BIPLAB DASGUPTA: Sir, in the List of Business today there are four Bills that are to be discussed. Out of these, for two Bills, the BAC has discussed and allocated time. But there are two other Bills -- the Indian Power Alcohol (Repeal) Bill, 2000 and the Semiconductor Integrated Circuits Layout-Design Bill, 1999 -- for which no time has been allocated. I suggest that immediately after lunch, after the discussion on Kashmir is over, we can finish these two Bills for which the BAC has allocated the time and let the other two Bills not be taken up for discussion until the BAC has discussed it tomorrow. We can take up the clarifications immediately after the two Bills are taken up. After the two Bills are taken up, I suggest that we take up clarifications on the statement by the Minister.

SHRI JASWANT SINGH: My difficulty is that I too have to be in the Lok Sabha from 4 p.m. onwards. So, clarifications can, perhaps, be taken up tomorrow, subsequently.

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI (Tamil Nadu): That is correct, Sir.

SHRI PRANAB MUKHERJEE: We will have to complete, at least, the first two is items of legislative business today, for which time has been allocated. And, for these also, I think, time has been allocated.

MR. CHAIRMAN: For the Semiconductor Integrated Circuits Layout-Design Bill, 1999, in the Winter Session, one hour was allotted.

SHRI PRANAB MUKHERJEE: For this other business also, time has been allotted.

MR. CHAIRMAN: So, now, shall we adjourn for one hour?

SOME HON. MEMBERS: Yes, Sir.

MR. CHAIRMAN: We adjourn for one hour.

The House then adjourned for lunch at fifty-nine minutes past twelve of the clock.

The House re-assembled, after lunch, at four minutes past two of the clock,

[THE DEPUTY CHAIRMAN in the Chair.]

MESSAGE FROM THE LOK SABHA

The Constitution (Ninetieth Amendment) Bill, 2000

SECRETARY-GENERAL: Sir, I have to report to the House the following message received from the Lok Sabha signed by the Secretary-General of the Lok Sabha:

"In accordance with the provisions of rule 96 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I am directed to enclose the Constitution (Ninetieth Amendment) Bill, 2000, which has been passed by Lok Sabha at its sitting held on the 10th May, 2000, in accordance with the provisions of article 368 of the Constitution of India."

Sir, I lay the Bill on the Table.